

भाग - 2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का सीमांकन एवं उपचार मानचित्र रथल के अनुसार बनाया गया है। शेष वन निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण के योग्य है।


वनरक्षक बीटगार्ड
रखारी


परिक्षेत्र सहायक
सलैया


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सगौनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप है। परियोजना अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल, दमोह

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्राधिकारी सगौनी द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन एवं उप वन मण्डलाधिकारी दमोह द्वारा की गई अनुशंसा से मै सहमत हूँ।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल-दमोह (सामान्य)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024 में चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल दुधरी खसरा नंबर 73 उपचारोग्य क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य रकवा 53.142 का मेरे द्वारा दिनांक 22.07.2024 को निरीक्षण कर लिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में योजना के अनुसार एवं मृदा एवं जल संरक्षण की दृष्टि से फैसिंग कार्य कर सुरक्षित करना, बीज बुबाई आदि कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त पाए जाने से चयनित किया गया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
संगौनी

उक्त चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल दुधरी खसरा नंबर 73 उपचारोग्य क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य रकवा 53.142 हेतु का मौका निरीक्षण दिनांक 22-07-2024 मेरे द्वारा किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल दमोह

स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 22-7-24 को किया गया क्षेत्र का घनत्व 0.1..... है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 22-7-24 को किया गया क्षेत्र का घनत्व 0.1..... है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।


उपवनमंडल अधिकारी
उपवनमंडल दमोह

